

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-3/शिका)विभाग

क्रमांक:प. 6(9)का/क-3/शिका/07 पार्ट

जयपुर,दिनांक: 5.1.12

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,राज0जयपुर।
समस्त प्रमुख शासन सचिव,शासन सचिव,विशिष्ट शासन सचिव
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष(जिला कलेक्टरो सहित)
समस्त उप शासन सचिव

विषय:-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत जारी की जाने वाली अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों में मनाही के प्रकरणों को मुख्य सर्तकता आयुक्त को भिजवाये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस द्वारा राज्य सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति एवं विभागीय कार्यवाही हेतु प्रकरण राज्य सरकार और विभागाध्यक्षों को भेजे जाते हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है। ऐसे प्रकरणों के संबंध में इस विभाग के परिपत्र क्रमांक न. 2(157)का/क-3/97 दिनांक 30.5.2001 एवं 6.4.2002 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न: परिपत्रों की प्रतियां

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव राज0जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
3. मुख्य सतर्कता आयुक्त,राज0 जयपुर।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज0जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव